न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **110/2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

शाकिर अहमद सूरी एडवोकेट निवासी रोशन मंजिल तैजाजी चौक भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा (निर्वाचन)
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 22.01.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 03.12.2018 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 682232 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 02.10.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.10.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 03.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सू.प्र./2018 दिनांक 26.12.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 02.10.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्वाचन अनुभाग के पत्रांक/निर्वाचन/सू.अ./2018/82789 दिनांक 24.10.2018 से जरिये डाक द्वारा प्रेषित की गयी। जो निम्नानुसार है—

" सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.10.2018 जो कि कार्यालय द्वारा भीलवाडा शहर के विधानसभा क्षैत्र के वार्ड सं. 5 भाग सं. 95 की सन् 1952 एवं 1957 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियां चाही गयी है। चाही गयी सूचना कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने से दिया जाना सभंव नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित है।"

अपीलार्थी की अपील एवं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.10.2018 का अध्ययन किया गया एवं प्रत्यर्थी के जवाब दिनांक 26.12.2018 पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी ने जवाब अंकित किया हैं कि मतदाता सूची वर्ष 1952 एवं 1957 की प्रति रिकार्ड में उपलब्ध नही होने से प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1952 एवं 1957 की मतदाता सूची यानी 76 वर्ष एवं 71 वर्ष पूर्व की चाही गयी है जो 20 वर्ष से पूर्व की है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार धारा 8(1) के अन्तर्गत 20 वर्ष व्यतीत होने के बाद सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा